मोहरपाल पुत्र ...
तहसील महवा जिला दौसा — वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा
जिला दौसा — प्रतिवादी

दावा बावत इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय दिनांकः 07.09.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 1024 से 1033 कुल किता 10 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1023 रकबा 0.01 है.भूमि में 1/5 हिस्सा का वादी रिकार्डेड खातेदार है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादी का नाम परभाती पुत्र तुल्ला दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम मोहरपाल पुत्र तुल्ला है। तुल्ला के परभाती नाम का कोई पुत्र नहीं हैं और ना ही परभाती नाम का कोई व्यक्ति है। परभाती व मोहरपाल एक ही व्यक्ति है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी का नाम गलत रुप से परभाती दर्ज हो गया जबकि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम मोहरपाल पुत्र तुल्ला दर्ज होना चाहिए। वादी को सरकारी व ऋण आदि लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। दिनांक 18.6.19 को वादी ने तहसीलदार महवा से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उपखण्ड अधिकारी महोदय,महवा के यहॉ से दुरुस्ती करने के आदेश लाने के लिये कहा इसलिये दावा पेश करना लाजिमी आया है। इसी कदर दुरुस्ती करने का आदेश तहसीलदार महवा को प्रदान करना फरमायें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी ने जबाव पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

अवगत कराया कि नकल जमाबंदी सं. 2070—73 के खाता सं. 206 एवं 207 ग्राम रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 1024 से 1033 कुल किता 10 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1023 रकबा 0.01 है.भूमि में 1/5 हिस्सा का वादी रिकार्डेड खातेदार है। तुल्ला के परभाती नाम का कोई वारिस नहीं होना अंकित किया है। साक्ष्य स्वरुप वादी ने अपना आधार कार्ड सं. 4687 4263 7258 प्रस्तुत किया है जिसमें मोहरपाल पुत्र तुलाराम सैनी नाम दर्ज है। इनके नाम की दुरुस्ती परभाती के स्थान पर मोहरपाल किया जाना उचित है।

हमने वकील वादी एवं सरकार पैरोकार की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते है कि वादीगण का नाम नकल जमाबंदी संवत 2070—73 में परभाती पुत्र तुल्ला खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड नम्बर 4687 4263 7258 मोहरपाल सैनी पुत्र तुलाराम अंकित है। इससे यह सिद्व होता है कि परभाती व मोहरपाल एक ही व्यक्ति है। उक्त साक्ष्य एवं सरकारी पेरोकार के जबाव के आधार पर दुरुस्ती की सकती है। उक्त विवेचन के आधार पर हम वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य समझते है।

अतः वादी का वादपत्र इन्द्राज दुरुस्ती स्वीकार किया जाकर नकल जमाबंदी सं. 2070—73 के खाता सं. 206 एवं 207 ग्राम रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 1024 से 1033 कुल किता 10 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1023 रकबा 0.01 है. में दर्ज परभाती पुत्र तुल्ला के वजाय मोहरपाल पुत्र तुल्ला शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्ठियॉ यथावत रहेंगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्व प्रविष्टि की जावे। उक्त आश्य की तहरीर तहसीलदार महवा को जारी की जावे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा